

राजस्थान सरकार
संसदीय कार्य विभाग

क्रमांक: प.1(3)संसद/95

जयपुर, दिनांक 13/8/25

परिपत्र

विषय:-राजस्थान विधानसभा में राजकीय दीर्घा में उपस्थित रहने वाले अधिकारियों के लिए राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के नियम-269 के अन्तर्गत माननीय सदस्यों द्वारा पालनीय नियम के अनुरूप सामान्य निर्देश।

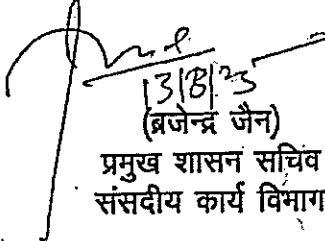
सोलहवीं राजस्थान विधानसभा का चतुर्थ सत्र दिनांक 01 सितम्बर, 2025 से प्रारम्भ हो रहा है। अतः सभी अधिकारियों से निवेदन है कि सत्र के दौरान सदन की राजकीय दीर्घा में उपस्थित रहते समय निम्न संसदीय प्रक्रिया नियमों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करें :-

1. सदन में राजकीय दीर्घा में प्रवेश करते समय या वहां से बाहर जाते समय और अपने स्थान पर बैठते समय या वहां से उठते समय, प्रत्येक अधिकारी द्वारा अध्यक्षीय पीठ के प्रति नमन किया जाये।
2. विधान सभा के माननीय अध्यक्ष महोदय के सदन में पधारने एवं वापस खाना होने के समय पर भी, जब सदन में सदस्यगण खड़े हों तो अधिकारियों को भी अध्यक्ष महोदय के सम्मानार्थ खड़े होना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अध्यक्ष महोदय जब सदन से बाहर जा रहे हों और उनके द्वारा सदन के स्थान की कोई घोषणा की जा रही हो तो ऐसे अवसरों पर सदन के सदस्यगणों के अनुसार अधिकारियों को भी सम्मानार्थ खड़े होना चाहिए तथा अध्यक्ष महोदय के जाने के बाद ही उन्हें राजकीय दीर्घा छोड़नी चाहिए।
3. सदन में प्रश्नकाल के पश्चात् अथवा किन्हीं महत्वपूर्ण बिन्दुओं/विषयों से संबंधित प्रकरण पर जब अध्यक्ष महोदय सदन में खड़े होकर सम्बोधित कर रहे हों या व्यवस्था दी जा रही हो तो ऐसे अवसर पर जब तक सम्बोधन समाप्त न हो जाए या व्यवस्था पूरी न हो जाए, तब तक राजकीय दीर्घा से उठकर नहीं जाएं। विधान सभा की यह परम्परा रही है कि जब आसन पैरों पर होता है अर्थात् अध्यक्ष महोदय खड़े होकर व्यवस्था दे रहे होते हैं, तो अधिकारियों को अपनी दीर्घा से उठकर नहीं जाना चाहिए, वहीं सदन में प्रवेश करने से पहले यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अध्यक्ष महोदय सदन में खड़े होकर सम्बोधित तो नहीं कर रहे हैं, ऐसे अवसर पर सदन में प्रवेश नहीं करना चाहिए।
4. राजकीय दीर्घा में उपस्थित अधिकारियों द्वारा आपस में चर्चाएं अथवा अन्य ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा, जो अध्यक्ष महोदय अथवा अन्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने वाला हो।
5. कोई अधिकारी ऐसी कोई पुस्तक, समाचार पत्र या पत्रादि नहीं पढ़ेगा, जिसका सदन की कार्यवाही से सम्बन्ध न हो।
6. सदन में धूम्रपान करना, पानी अथवा किसी पेय पदार्थ का उपयोग करना या कोई वस्तु/सामग्री लाना या नींद लेना वर्जित है।

7. राजकीय दीर्घा में मोबाईल अथवा अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना वर्जित है। पूर्व में भी माननीय अध्यक्ष महोदय ने राजकीय दीर्घा में मोबाईल अथवा अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बजने को लेकर गंभीरता से एतराज किया था। अतः सदन के अन्दर अधिकारी दीर्घा में बैठने वाले कोई अधिकारी मोबाईल अथवा अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस न लेकर आवें। यदि कोई अधिकारी भूलवश मोबाईल अथवा अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस साथ ले भी आते हैं, तो उसे स्वीच-ऑफ रखा जावे। यदि मोबाईल अथवा अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बजता हुआ पाया गया तो विधानसभा सचिवालय द्वारा जप्त कर लिया जाएगा तथा किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

8. राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

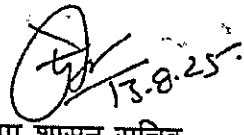
अतः कृपया विधान सभा के सत्र के दौरान उपर्युक्त संसदीय प्रक्रिया नियमों विशेष रूप से विन्दु संख्या 2 एवं 3 पर अंकित प्रक्रिया की सख्ती से पालना करना सुनिश्चित करें।


13/8/25
(ब्रजेन्द्र जैन)
प्रमुख शासन सचिव
संसदीय कार्य विभाग

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिवगण।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, संसदीय कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- ✓ 5. संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त दिशा-निर्देश संसदीय कार्य विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
6. रक्षित पत्रावली।


13-8-25
वरिष्ठ उप शासन सचिव